न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 163 / 2019

ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
शाखा–वैशालीनगर, अजमेर (राज.)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी ....**प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1) श्री दीपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बाल किशन शर्मा
पताः– जी–37, गणेश गुवाडी, औइसिस माल के पास, पंचशील नगर, अजमेर 305001(राज.)।

(2) श्रीमती भारती सिखवाल पत्नी श्री दीपेन्द्र शर्मा
पताः– जी–37, गणेश गुवाडी, औइसिस माल के पास, पंचशील नगर, अजमेर 305001(राज.)। ....**अप्रार्थीगण / ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री मनोज कुमार ओरिया अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश **दिनांक 21.10.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री दीपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बाल किशन शर्मा व श्रीमती भारती सिखवाल पत्नी श्री दीपेन्द्र शर्मा निवासी– वार्ड जी–37, गणेश गुवाडी, औइसिस माल के पास, पंचशील नगर, अजमेर–305001 को दिनांक 20.11.2015 को रू 4,00,000 / –(अक्षरे चार लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर अचल सम्पति–Hyundai Grand–I-10 1.2 GLS SPORTZ Car Make 2015, Diesal Model Registration No. RJ-01CC-7193,Chassis No.-MALA851CLFM35956*K Engine No.-G4LAFM80733 को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 01.04.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 03.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 2,74,028.58 / –(अक्षरे रूपये दो लाख चौहत्तर हजार अठाईस एवं पैसे अठावन मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति अचल सम्पति–Hyundai Grand–I-10 1.2 GLS SPORTZ Car Make 2015, Diesal Model Registration No. RJ-01CC-7193,Chassis No.-MALA851CLFM35956*K Engine No.-G4LAFM80733 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner